सार-समाचार

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के दोवडा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। दोवडा थाना पुलिस के अनुसार वैड निवासी पप्पू पुत्र जीवा कटारा देवसोमनाथ में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव से बाइक पर निकला था। रघुनाथपुरा गांव के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में पप्पू और सलूंबर निवासी ईश्वर पुत्र जगदीश अहारी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से गुजर रहे लोगों ने दोनों को लहूलुहान हालत में देखा और 108 एंबुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद पप्पू कटारा को मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए हुई। घायल ईश्वर अहारी घटना के संबंध में कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं था और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया। कुछ देर बाद मृतक पप्पू के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। दोवडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

डूंगरपुर, (निसं)। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डूंगरपुर श्री नीरज जोशी ने बताया कि बताया कि निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय,अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 14 से 23 मार्च तक ऑनलाइन, शाला दर्पण एवं क्यू आर कोड माध्यम से कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकालने की तिथि 25 मार्च है। चयनित विद्यार्थियों की वरीयता सूची 27 मार्च को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। जिस विद्यार्थी का विद्यालय की रिक्त सीटों के अनुसार प्रवेश हो चुका है उसको प्रवेश कार्य संबंधी 28 से 31 मार्च तक सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि तत्काल जारी कराने की मांग

डूंगरपुर, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिन चौबीसा, जिलाध्यक्ष शंकरलाल कटारा, जिलामंत्री सुदर्शन सिंह ने निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जिले के सभी स्कूलों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट व खेल मद की राशि उपलब्ध कराने की मांग की। विभाग द्वारा विद्यालयों में वर्षभर की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष राशि दी जाती है, जिससे विद्यालय के विभिन्न खर्चों का भुगतान होता है। इस वर्ष अभी तक विद्यालयों में राशि नहीं आई है, केवल कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ राशि आई है। ऐसे में विद्यालयों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। गत वर्ष भी मार्च के अन्त में आवश्यकता से कम राशि जमा करवाई थी,जिससे कई समस्याओं का सामना करना पडा था। हर वर्ष विद्यालयों में विभिन्न मदों के खर्च की सीएसजी राशि समय पर जारी होती रही है। इसके चलते सफाई, स्टेशनरी, बिजली बिल सहित परीक्षा सामग्री की खरीद भी उधारी से हो रही है। अब मार्च माह के 20 दिन ही शेष रहे हैं, ऐसे में खर्च बिलों के एसएफ एनएफ करने में होने वाली समस्या को देखते हुए तत्काल कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं खेल राशि जारी कर विद्यालयों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

अवैध सिगरेट, तम्बाकू व हुक्के जब्त

उदयपुर,(कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध अवैध सिगरेट, तम्बाकू बेचने एवं हुक्के वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर सचित्र चेतावनी के बिना बीडी सिगरेट एवं तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर प्रतापनगर थानाधिकारी एवं डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर सचित्र चेतावनी के बिना सिगरेट व तम्बाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकेश पुत्र सुजानमल निवासी आदर्श नगर, ई ब्लॉक पायड़ा प्रतापनगर के कब्जे से विभिन्न ब्रांड के 326 पैकेट सिगरेट के, 60 पैकेट तम्बाकू एवं 11 हुक्के जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर,(कासं)। आमजन में भय पैदा कर संगठित अपराध करने वाले बदमाश के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा पर बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान खेरवाड़ा थानाधिकारी मय टीम ने कार्यवाही करते हुए कटेवडी में आमजन में भय पैदा कर वारदात करने की योजना बनाने वाले कटेवड़ी निवासी गोतमलाल पुत्र शंकरलाल डामोर व साथी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। गोतम के खिलाफ करीब 10 अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

अवैध बंदूक बरामद

उदयपुर,(कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान झाड़ोल थानाधिकारी मय टीम ने बबसुलाल पुत्र खातु निवासी दमाणा तालाब झाड़ोल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से अवैध देशी टोपीदार बंदूक जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

कलक्टर ने पेयजल व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण

राजसमंद, (निसं)। भीषण गर्मी की संभावना और पिछले कुछ दिनों से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर अरुण कुमार हंसीजा ने मंगलवार सुबह शहर की पेयजल व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ शहर की विभिन्न कोलोनियों का दौरा कर जलापूर्ति की स्थितिए पानी की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया तथा मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साधना शिखर स्थित जल शोधन संयंत्र

- **जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानी**

पहुंचे, जहां उन्होंने जल शोधन की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया और पानी की गुणवत्ता से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद अमृत 2.0 योजना के तहत स्थापित फि ल्टर प्लांट का निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए जल शोधन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

पेयजल सप्लाई जांचने घरों तक पहुंचे कलक्टर आमजन से वार्ता करते हुए।

कलेक्टर ने इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जलापूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानी। भगवान दास मार्केट, माटा मौहल्ला तथा महादेव कॉलोनी संतोष नगर क्षेत्र में पहुंचकर पानी के प्रेशर की जांच करवाई। साथ ही क्लोरीन के नमूनों की जांच अपने सामने करवाई और पानी की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए और नियमित रूप से क्लोरीन की मात्रा तथा जल नमूनों की जांच की जाए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर पेयजल से जुडी समस्याओं की जानकारी ली। कई स्थानों पर उन्होंने घरों तक पहुंचकर आमजन से बातचीत की और पूछा कि उन्हें पानी किस समय मिल रहा है, पानी का प्रेशर कैसा है तथा गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या तो नहीं है। लोगों ने भी अपने अनुभव और समस्याएं साझा कीं, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। जहां भी गंदे पानी की शिकायत प्राप्त होती हैए वहां तत्काल सैंपल लेकर जांच करवाई जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि जल नमूनों का समय.समय पर संग्रहण कर उनकी जांच सुनिश्चित की जाए ताकि पानी की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी बृजेश गुप्ता, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता लोकेश सैनी, सहायक अभियंता दीपेश चौधरी सहित विभागीय टीम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कलेक्टर को विभिन्न क्षेत्रों में संचालित जलापूर्ति व्यवस्था की जानकारी दी।

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी निलम्बित

राजसमंद, (निसं)। अजमेर स्थित आयुर्वेद विभाग निदेशालय द्वारा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नाथद्वारा में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. राजेन्द्र जांगिड को जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की अनुशंसा पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयुष नर्सेज संघ राजसमंद द्वारा कलक्टर को प्रस्तुत ज्ञापन तथा कनिष्ठ नर्स आरती व्यास के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई है। शिकायत में चिकित्साधिकारी पर जबरदस्ती एवं अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है और जांच प्रक्रियाधीन है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फ ुटेज के अवलोकन में प्रथम दृष्टया डॉ. राजेन्द्र जांगिड द्वारा जबरदस्ती एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की पुष्टि होना पाया गयाए जिसे गंभीर कृत्य माना गया है।

उदयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई बंद

उदयपुर (कासं)। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का बडे स्तर पर असर भारत पर दिखने लगा है। एलजीपी संकट शुरू हो गया है। गैस एजेंसियों ने कंपनियों के जारी आदेश के तहत कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई बंद कर दी। इससे होटल,रेस्टोरेंट, ढाबे पर अस्थायी संकट आ गया है और सीधे तौर पर पर्यटन प्रभावित हो रहा है।

पर्यटन नगरी उदयपुर की बात करें तो यहां एलपीजी के 2००० कॉमर्शियल सिलेंडर प्रति दिन सप्लाई होते हैं।पर्यटकों के चलते उदयपुर में होटल.रेस्टोरेंट एक बडी इंडस्ट्री है। उदयपुर में करीब 5०० से अधिक बडी होटल.रिसोर्ट और 15०० से अधिक रेस्टोरेंट हैं,जबकि छोटे होटल, चाय.नाश्ते की दुकानें या टूरिस्ट पेइंगगेस्ट अलग हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से खाना बनाने से लेकर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय तक इस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुडे लाखों लोगों के रोजगार पर भी संकट खडा हो गया है। यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में उदयपुर के इन होटल.रेस्टोरेंट के अस्थायी रूप से बंद होने की नौबत आ जाएगी।अभी सावे चल रहे हैं,बडी संख्या में लोगों ने शादियों के लिए होटल.रिसोर्ट में बुकिंग की हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई नहीं होने से इन शादियों पर भी संकट आ गया है। जब सिलेंडर मिलेंगे नहीं तो मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा।

उदयपुर एलपीजी फेडरेशन के सचिव सुनील जोशी के अनुसार उदयपुर में प्रति दिन करीब 2००० कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई होते हैं। हमारे पास कंपनियों से 7 मार्च को ही कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद करने ऑर्डर आ गए थे। दो दिन तो हमने हमारे कस्टमर्स को स्टॉक में रखे सिलेंडर से सप्लाई की लेकिन अब उदयपुर की सभी गैस एजेंसियों के पास कॉमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक भी करीब.करीब खत्म हो गया है।अभी सिर्फ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की कैंटीन,कॉलेजों के स्टूडेंट हॉस्टल,आदिवासी छात्र.छात्राओं के हॉस्टल,सेंट्रल जेल, मिड.डे.मील सहित स्वास्थ्य और शिक्षा से जुडी सेवाओं के लिए ही जरूरत के अनुसार कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई करने के ऑर्डर हैं।

उदयपुर होटल एसोसिएशन के पूर्व सचिव जतिन श्रीमाली के अनुसार एक तरफ सरकार पाबंद करती है कि होटल,रेस्टोरेंट,ढाबे एलपीजी कॉमर्शियल कनेक्शन लेकर कॉमर्शियल सिलेंडर ही उपयोग में लें। यहां तक कि चाय.नाश्ते की दुकान चलाने वाले को भी कॉमर्शियल सिलेंडर उपयोग के लिए पाबंद किया। लेकिन जैसे ही एलजीपी का संकट आया, सबसे पहले इसी इंडस्ट्री में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी

पेयजल उपलब्धता की जानकारी ली

बांसवाड़ा, (निसं)। जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर डॉ इन्द्रजीत यादव ने विभिन्न गांवों का दौरा कर पेयजल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

इस दौरान जिला कलेक्टर डॉ इन्द्रजीत यादव ने जलदाय विभाग तथा संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने छोटी सरवन क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुंडल, सीमलखेडा आदि गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद कर पेयजल की उपलब्धता तथा आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

ग्रामीणों ने उन्हें अपने क्षेत्र में पानी की समस्या और आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतों से अवगत कराया जिस पर कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन व पेयजल विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जहां भी पेयजल की समस्या सामने आए वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा टैंकरों के माध्यम से भी जरूरतमंद क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी ने कलेक्टर को क्षेत्र में चल रही पेयजल व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

बैठक आज

डूंगरपुर, (निसं)। 16 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का बेणेश्वर धाम स्थल साबला में राजस्थानी जनजातिय गौरव दिवस कार्यक्रम प्रस्तावित होने एवं 15 मार्च से राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह बताया कि आवश्यक तैयारियों हेतु 11 मार्च 2०26 को सायं 4 बजे जिला परिषद के इडीपी सभागार डूंगरपुर में बैठक आयोजित की जाएगी।

कॉन्फ्रेंस में 200 से अधिक विशेषज्ञों ने स्तन कैंसर पर किया मंथन

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया की 26वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देशभर से 200 से अधिक कैंसर विशेषज्ञों, सर्जनों और चिकित्सकों ने भाग लिया तथा स्तन कैंसर की रोकथाम, उपचार और नवीनतम तकनीकों पर अपने विचार साझा किए।

यह कॉन्फ्रेंस ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और इस वर्ष पहली बार राजस्थान में उदयपुर में आयोजित की गई। सम्मेलन का उद्देश्य स्तन कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों, सर्जनों और मेडिकल विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक संवाद स्थापित करना, नवीनतम तकनीकों और उपचार पद्धतियों को साझा करना तथा उपचार के बेहतर परिणामों पर चर्चा करना रहा।

सम्मेलन के दौरान देश के प्रतिष्ठित कैंसर विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख रूप से पद्मश्री डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह (पटना), डॉ. जे.डी. पटेल (अहमदाबाद), डॉ. दुर्गातोष पांडे (फरीदाबाद), डॉ. पारस खन्ना (एम्स, जम्मू), डॉ. दीपांजली पटेल (मुंबई), डॉ. हीरक व्यास (अहमदाबाद), डॉ. पंकज कुमार गर्ग (देहरादून), डॉ. मंजुनाथ (बेंगलुरु) तथा डॉ. किंजल जानी (अहमदाबाद), डॉ तरंग पटेल (राजकोट) सहित कई विशेषज्ञ शामिल रहे।

उदयपुर में गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया की 26वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ।

कॉन्फ्रेंस में 100 से अधिक मेडिकल विद्यार्थियों ने भी भाग लेकर स्तन कैंसर के आधुनिक उपचार, सर्जिकल तकनीकों और नई शोध संबंधी जानकारियां प्राप्त कीं।

इस अवसर पर आमजन में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 25० से अधिक महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने महिलाओं को बताया कि नियमित जांच और अर्ली डायग्नोसिस के माध्यम से स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाकर सही उपचार से जान बचाई जा सकती है।

कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गीतांजली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. आर.के. व्यास, डीन डॉ. संगीता गुप्ता, रजिस्ट्रार डॉ. अरविंद यादव तथा वरिष्ठ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉ. गरिमा मेहता, की उपस्थिति में हुआ।

बुजुर्ग पर किया हमला

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ओडा बडा गांव में बुजुर्ग पर हमला किया गया है।

अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को पीटाए जिससे उनके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया ह यह घटना तब हुई जब ओडा बडा निवासी हकरा पुत्र देवा खराडी कनबा से अपने घर लौट रहे थे।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द

सं.9915 — **लोक सूचना** — दिनांक: 10.03.26

श्री राधाकिशन पिता श्री कालू ब्राह्मण निवासी बस स्टेन्ड के पास धोईन्दा द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	धोईन्दा	3974/759 4036/767 766	रकबा 0.1422 हैक्टेयर में से रकबा 0.0192 हैक्टेयर रकबा 0.0470 हैक्टेयर रकबा 0.3804 हैक्टेयर में से रकबा 0.0943 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगरपरिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द

सं.9907 — **लोक सूचना** — दिनांक: 10.03.26

श्री निलेश कोठारी पिता श्री सम्पतलाल कोठारी निवासी जवाहरनगर आमेट, श्री राजेन्द्र लौहार पिता श्री भेरूलाल लोहार निवासी पोवाग की बावड़ी आमेट, श्री राजेश कुमार मेहता पिता श्री मनोहरलाल मेहता निवासी जैन मोहल्ला सरदारगढ़, श्रीमती शमीम बोहरा पत्नी श्री शब्बीर बोहरा निवासी मारू दरवाजा शनि मन्दिर के पास आमेट, श्री शान्तिलाल लखारा पिता श्री माणकचन्द लखेरा निवासी जवाहर नगर गांधी चूबतरे के पास आमेट इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	कांकरोली	462/3	रकबा 0.0223 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगरपरिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द

सं.9903 — **लोक सूचना** — दिनांक: 10.03.26

श्री केसरसिंह कल्याणसिंह मादरेचा पिता श्री कल्याणसिंह राजपूत निवासी झालों की मदार तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हाल निवासी 402, मनीषा सीएचएस एलटीडी एस व्ही रोड़ ट्रीमूर्ति स्टूडियों दहिसर पूर्व मुम्बई, महाराष्ट्र इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र. सं.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	पीपरड़ा	4538/4052	रकबा 0.3426 हैक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगरपरिषद, राजसमन्द

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

क्रमांक /न.पा.ना./69 क/2025/18801 — दिनांक :- 10.3.26

-: आपत्ती सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पति पर 69 ए का फ्री होल्ड पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित सम्पत्ति कापता एवं माप	पड़ौस पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल/नरेन्द्र कुमार पालीवाल	खादरी मौहल्ला, नाथूवास, नाथद्वारा, भूखण्ड क्षैत्रफल 1890.15 वर्ग फीट	स्वंय की गली बाद में राजकुमार पुत्र हरिनारायण गुर्जर की भूमि	निजी रास्ता 15 फीट चौडा	लक्ष्मीनारायण पालीवाल का का स्वंय का मकान	आम रास्ता 26 फीट चौडा

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in — Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ/तामिर/2026/18702 — दिनांक :6.3.2026

-: आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टा शुद्वा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर भवन निर्माण में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री शुभम कुमावत पिता श्री रामकिशन कुमावत निवासी-फौज मोहल्ला, नाथद्वारा	भूखण्ड क्षैत्रफल- 879.06 वर्गफिट, फौज मोहल्ला, नाथद्वारा	मकान श्री प्रकाश एवं कैलाश जी	मकान श्रीमत रज्जुरानी एवं श्री लोकेश जी	मकान श्री बाबुलाल कुमावत	आम सडक

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगरपरिषद् सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:- न.प.स./नामान्तरण/2025-26/2822 — दिनांक: 24.02.2026

उजरदारी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्ति श्री नाहर सिंह भण्डारी पिता श्री देवी सिंह भण्डारी निवासी सलूम्बर को नगरपालिका सलूम्बर से कृषि भूमि रूपान्तरण पट्टा विलेख दिनांक 17.06.2013 को जारी किया गया था जिनकी मृत्यु दिनांक 27.05.20217 को होने से इनके वारिसान के द्वारा नामान्तरण हेतु पत्रावली नगर परिषद् में प्रस्तुत की है, जिसका पड़ौस उनके आगे लिखित है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या पडौसियों को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति नोटिस जारी होने की तिथी से 07 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं प्रार्थी के नामान्तरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र.सं.	नाम मूल भखण्ड धारी	भूखण्ड हस्तान्तरण	साईज, राजस्व ग्राम, भूखण्ड के पडौस
01	श्री नाहर सिंह भण्डारी पिता श्री देवी सिंह भण्डारी निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर। मृत्यु दिनांक 27.05.2017	श्री जगदीश भंडारी पिता श्री नाहर सिंह भण्डारी, श्री रविन्द्र भंडारी पिता श्री नाहर सिंह भण्डारी निवासी सलूम्बर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।	कुल 37736 वर्गफीट, राजस्व ग्राम दुदर पूर्व:- आबादी भूमि, आ.न. 346, 345 की भूमि। पश्चिम:- आ.न. 352 की भूमि, रोड 30 फिट चौडी। उत्तर:- भूमि, आ.न. 352 की भूमि। दक्षिण:- आ.न. 346 की भूमि, आ.न. 347 की भूमि।

आयुक्त, नगरपरिषद् सलूम्बर

कार्यालय नगरपरिषद निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक:- नपानि/भूमि/2025-26/ — दिनांक:- /03/2026

-: लोक सूचना :-

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदारों द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात

क्र. सं.	नाम आवेदन/खातेदार	जिले सहित तहसली का	राजस्व ग्राम का	खसरा नं.	क्षेत्र
1.	श्री आकाश पारख पिता श्री पारसमल पारख, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, श्री संदीप छाजेड़ पिता श्री शांतिलाल छाजेड़, निवासी-निम्बाहेड़ा एवं श्री प्रकाशचन्द्र धाकड़ पिता श्री गेंदमल धाकड़ निवासी-बडीसादडी।	तह. निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ	कासोद	आराजी नंर. 727/16 रकबा 0.26 हैक्टेयर में से 0.1250 हैक्टेयर	आराजी नं. 727/16 रकबा 0.26 हैक्टेयर में से 0.1250 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..../01/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगरपरिषद निम्बाहेड़ा

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in — Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ./नामा./2026/18841 — दिनांक : 10.3.2026

-: आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुद्वा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो 7 दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्रीमती भगवती बाई पत्नि श्री उदय लाल निवासी-नेडच, नाथद्वारा	भूखण्ड क्षैत्रफल-1200 वर्गफिट, नानी जी का बाग, नाथद्वारा	फुटपातनुमा सड़क उसके आगे सार्वजनिक	अन्य का मकान	आम रास्ता 10 फिट उसके आगे मकान श्री नवनीतजी सोनी	कृषि भूमि श्री नवनीत जी सोनी
		भूखण्ड क्षैत्रफल-2498.94 वर्गफिट, पुराना बस स्टेण्ड, तहसील रोड, नाथद्वारा	सार्वजनिक गंदे पानी की गट्टर उसके आगे न.पा. की दुकान	मकान श्री वल्लभदास जी सनाढ्य	आम रास्ता	पुर्णिमा गेस्ट हाउस एवं मकान श्री मिठ्ठालाल जी

आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरा पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.प./निविदा/संदर्भ/2025-26/41 — दिनांक: 10.3.26

-: ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत भानपुरा के लिए स्वीकृत कार्य निम्नांकित कार्यो हेतु दिनांक 16.3.26 को सायं 6.00 बजे तक ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajathan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्रमांक	कार्य का नाम	UBN No
1.	चबुतरा निर्माण कार्य Govt School भानपुरा	ZUD2526WSOB04862
2.	टीन शेड निर्माण कार्य Govt School काम्बा	ZUD2526WSOB04864
3.	टीन शेड निर्माण कार्य Govt School बागड	ZUD2526WSOB04863
4.	चबुतरा निर्माण कार्य Govt School सामरो का गुड़ा	ZUD2526WSOB04865
5.	चबुतरा मय रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य श्मशान के पास बागड	ZUD2526WSOB04866

प्रशासक
ग्राम पंचायत-भानपुरा
पं.स. सायरा, जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-भानपुरा
पं.स. सायरा, जिला-उदयपुर